2020/00166

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सुनील कुमार बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा....91.... /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2020	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। मुताबिक रिकॉर्ड तहसीलदार लूनकरनसर ग्राम मेहराणा की जमाबन्दी संवत् 2073–76 में खाता संख्या 49 में भजना पुत्र तुल्छाराम कौम जाट के नाम से हैं। इसमें प्रार्थी का नाम भजना है एवं इसी जमाबन्दी के खाता संख्या 50 में प्रार्थी के पिता का नाम भजनाराम हैं एवं खाता संख्या 114 में प्रार्थी का नाम भजना हैं। ग्राम मेहराणा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में प्रार्थी का नाम भजनाराम हैं एवं इसी जमाबन्दी संवत के खाता संख्या 76 जिसमें भी आगे बंटवारा हुआ हैं। इसमें भी प्रार्थी का नाम भजना हैं एवं खाता संख्या 77 में भी यही स्थिति हैं। लगातार नाम जमाबन्दी में अशुद्ध होने पर प्रार्थी का नाम दुरूस्ती योग्य हैं। अतः प्रार्थी सुनिल द्वारा एलआर एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम समस्त सरकारी रिकॉर्ड में भजनलाल है अतः राजस्व रिकॉर्ड में भजना, भजनाराम के स्थान पर भजनलाल दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया । प्रस्ताव में पटवार हल्का मेहराणा की रिपोर्ट व भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर द्वारा प्रार्थी का नाम शुद्ध करने की अनुषंशा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो में ग्राम मेहराणा की जमाबन्दी संवत् 2073–76 में खाता संख्या 49 में भजना पुत्र तुल्छाराम कौम जाट के नाम से हैं। इसमें प्रार्थी का नाम भजना है एवं इसी जमाबन्दी के खाता संख्या 50 में प्रार्थी के पिता का नाम भजनाराम हैं एवं खाता संख्या 114 में प्रार्थी का नाम भजना हैं। ग्राम मेहराणा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में प्रार्थी का नाम भजनाराम हैं एवं इसी जमाबन्दी संवत के खाता संख्या 76 जिसमें भी आगे बंटवारा हुआ हैं। इसमें भी प्रार्थी का नाम भजना हैं एवं खाता संख्या 77 में भी इसी अनुसार नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व जमाबन्दी ग्राम मेहराणा के नये खाता संख्या 49,50,114 की छाया प्रतियां पेश की । इसी प्रकार नया खाता संख्या 50,49 एवं 114 ग्राम मेहराणा की जमाबन्दी संवत् 2073–76 की प्रमाणित प्रतियां पेश की । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र नॉन ज्यूडीशीयल स्टाम्प 50 रू. पर शपथ पत्र पेश किया जो नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा हैं। उक्त प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय सहवन से भजनलाल वल्द तुल्छाराम की जगह भजना/भजनाराम वल्द तुल्छाराम दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने पिता के नाम से जारी आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि सभी में भजनलाल दर्ज हैं इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम भजनलाल पुत्र तुल्छाराम ही है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के [illegible] जमाबन्दी संवत् 2073–76 ग्राम मेहराणा के खाता संख्या 49,50 व 114 में जहां भजना/भजनाराम अंकित है के स्थान पर [illegible] के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार [illegible] आदेश नाम दुरूस्त कर पालना हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों। 15/10/2020 (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested